[22/12/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 998]

पंडित शंभुनाथ शुक्ला वि0वि0शहडोल में सहायक प्राध्यापक भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार

प्रति,

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
आवक क्रमांक 994678 /38-3
दिनांक 01-12-2022

माननीय श्री शैलेन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा म0प्र0 मंत्रालय
भोपाल (म.प्र.)

विषय—पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल में सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के प्रथम दृष्टा होने के कारण भर्ती प्रक्रिया तत्काल रोके जाने तथा षडयंत्र में शामिल वि0वि0 के वरिष्ठजनों के खिलाफ अपराधिक प्रकरण कायम किये जाने हेतु न्यायहित में निवेदन।

आदरणीय,

(1) सहायक प्राध्यापक चयन सूची का सार्वजनिक प्रकाशन नही किया :—

पंडित शंभुनाथ शुक्ला वि0 वि0, शहडोल दिनांक 08—11—21 को विभिन्न विषयों में सहायक प्राध्यापक के कुल 68 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।

परन्तु 12—08—2022 को कुलपति प्रो0 रामशंकर जी ने यू0जी0सी0 एवं म0प्र0 शासन के दिशा निर्देशों को दरकिनार कर मनमानी ढंग से बिना चयन सूची का प्रकाशन किये। कथित उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ई मेल के माध्यम से ज्वाइनिंग करने के निर्देश दिये और दूसरे दिन ही अधिकांश सहायक प्राध्यापक ज्वाइन कर लिये। जबकि किसी भी परीक्षा में रिजल्ट का जारी किया जाना अनिवार्यता है। लेकिन इसका पालन जान बुझकर नहीं किया गया ताकि किये गये अवैध प्रक्रिया की जानकारी किसी अन्य को न हो पाये।

(2) रोस्टर नियमों का पालन नहीं :—

दिनांक 08.11..21 को विभिन्न विषयों में सहायक प्राध्याप्क के कुल 68 पदों के लिए विज्ञापन में रोस्टर सहित जारी किया गया था परन्तु की गई प्रक्रिया में चयन मात्र 24 पदों पर किया गया, न ही नवीन रोस्टर जारी किया गया और न ही इस सम्बन्ध में कोई नोटिफिकेशन जारी किया। जो कि गंभीर मामला है।

(3) अपात्र उम्मीदवारों को इंटरव्यू में बुलाया गया :-

विज्ञापन में इस बात का साफ उल्लेख था कि एक पद के लिये 12 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा परन्तु इस नियम के चलते शायद कुलपति महोदय के खास लोग साक्षात्कार ही न दे पाते इस लिये बिना कोई नोटिफिकेशन जारी किये सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने का निर्णय ले लिया गया जिसका परिणाम ये हुआ कि अनेक ऐसे अभ्यर्थी जो इंटरव्यू देने के लिये पात्र ही नहीं थे उनको भी साक्षात्कार के लिये बुला लिया गया।

(4) एकेडेमिक स्कोर जारी न कर यू0जी0सी0 के निर्देशों का उल्लंघन :—

यू0जी0सी0 के नियमानुसार विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के चयन के लिये जो प्रक्रिया निर्धारित की गयी है वो स्पष्ट एवं पारदर्शी है जिसके अनुसार प्रत्येक प्रतिभागी का एकेडमिक स्कोर तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड करके आपत्ति मँगाना चाहिये

0 NOV 2022
OSD (DPS)

कैलाश तिवारी

फिर उसका निराकरण कर उसमें साक्षात्कार के अंक जोड़ कर अंतिम चयन सूची जारी की जानी चाहिये किन्तु यहाँ किसी भी प्रतिभागी का एकेडमिक स्कोर सार्वजनिक नहीं किया गया न ही पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गयी यहाँ तक कि यह भी नहीं बताया गया कि साक्षात्कार कितने अंकों का था। नियमतः साक्षात्कार कुल स्कोर के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है।

(5) **चयन समिति में एक्सपर्ट कम योग्यता के शामिल :–**
यू0जी0सी0 के नियमानुसार विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के चयन के लिये जो एक्सपर्ट बुलाए जाते है वो प्रोफेसर की रैंक से नीचे का व्यक्ति नहीं होना चाहिये परन्तु अनेक विषयों में प्रोफेसर से नीचे की रैंक के व्यक्तियों को बुलाकर अपने मनपसंद लोगों का चयन कर लिया गया इस बात की पुष्टि जॉच कराकर की जा सकती है।

(6) **कुलपति महोदय ने अवैधानिक** चयन प्रक्रिया को छिपाने के लिये चयनित उम्मीदवारों की सूची भी सार्वजनिक नहीं की और व्यक्तिगत रूप से मेल भेजकर तुरंत ज्वाइन भी करा लिया। और इस जल्दबाजी में कुलपति महोदय प्रतिक्षा सूची भी बनाना और प्रकाशित करना भूल गये।

(7) दिनांक 07/11/22 को देर रात तक इंटरव्यू चले इसके अगले ही दिन अर्थात 08/11/22 को अवकाश के दिन कुलपति के द्वारा कार्यपरिषद की बैठक बुलाने का नाटक किया गया जो कि केवल वि0वि0 के प्राध्यापकों की एक समिति मात्र थी जिसका कोरम तक पूरा नहीं हो रहा था उसके माध्यम से रिजल्ट का अनुमोदित करा कर रातों रात एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया।

(8) सहायक प्राध्यापक चयन सूची में अनेक ऐसे अभ्यर्थी है जो अचयनित लोगों की तुलना में 30 से 40 स्थान नीचे है फिर भी उनका चयन होना भारी भ्रष्टाचार को दर्शाता है। सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया बड़े आर्थिक भ्रष्टाचार की ओर इंगित कर रही है।

अस्तु निवेदन है कि तुरंत इन नियुक्तियों पर रोक लगाकर एवं उक्त बिन्दुओं की जॉच किसी उच्च स्तरीय जॉच एजेंसी के माध्यम से करवाकर नियुक्तिओं में भ्रष्टाचार कर युवाओं के भवष्यि से खेलने वाले ऐसे शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। जिससे कि आगे से कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके। और सरकार की छवि को धूमिल करने का साहस न कर सकें।

सादर।

शहडोल, (म0प्र0)
दिनांक 21/11/2022

भवदीय
कैलाश तिवारी
(कैलाश तिवारी) एडवोकेट
पूर्व कार्यपरिषद् सदस्य
पं. शंभुनाथ शुक्ला वि.वि.शहडोल (म.प्र.)
पता – प्रेस कालोनी, वार्ड नं0 दस
शहडोल (म0प्र0) 484001